

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

अधिसूचना सं. [02/2026]¹ - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

का.आ. 2286(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 101क की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (3) के अधीन गठित प्रधान न्यायापीठ अपील अधिकरण, नई दिल्ली को, उक्त अधिनियम की धारा 101ख के अधीन की गई अपीलों को सुनने के लिए सशक्त करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2026 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. ए-50/2/2026-जीएसटीएटी-डीओआर]

बालासुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति,
संयुक्त सचिव

¹ शुद्धि-पत्र का.आ. 2349(अ) दिनांक 08.05.2026 [फा. सं. ए-50/2/2026-जीएसटीएटी-डीओआर], भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, द्वारा संख्या और अंक "18/2024" के स्थान पर "02/2026" पढ़ा जाए।